

**न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 186/2019

दायर दिनांक 31.07.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. कीसनाराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी गोमथलिया की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	1. हनुमानराम पुत्र बालूराम 2. हरिसिंह पुत्र बालूराम 3. गुमानी पत्नि बालूराम 4. श्रवण देवी पुत्री बालूराम 5. संतोष पुत्री बालूराम 6. भंवरी उर्फ भागीदेवी पुत्री नानूराम 7. फाखा देवी पुत्री नानूराम 8. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बिरदाराम 9. सुभाष पुत्र बिरदाराम 10. सोहनी पत्नि बिरदाराम 11. रामादेवी पत्नि नारायणराम 12. सुरेश पुत्र नारायणराम 13. नन्दु पुत्री नारायणराम 14. सुमेर पुत्री नारायणराम 15. किस्तुरी पुत्री बिरदाराम 16. रामेश्वरी देवी पुत्री बिरदाराम समस्त जाति जाट निवासी गोमथलिया की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 17. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।
	बनाम्

दावा बाबत्  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।

--: निर्णय :-


दिनांक 04.10.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में यह है कि यह है कि वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1119 रकबा 20 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 1117 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 1124 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 1278/1106 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद गोमथलिया की ढाणी में अवस्थित है।

यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक रूप से बन्टवारा हो चुका है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 तर 07 के बन्ट व कब्जे काश्त के उपर वर्णित खसरा नम्बरान आया है जिसमें प्रतिवादी सं0 08 ता 16 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं0 08 ता 16 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं0 08 ता 16 के बन्ट में ग्राम करकेड़ी में अवस्थित खसरा नम्बर 36 रकबा 08.24 हैक्टो, खसरा सं0 474/36 रकबा 0.58 हैक्टर आया हुआ है।

यह है कि उपर वर्णित खसरा नम्बरान में प्रतिवादी सं0 08 ता 16 का किसी प्रकार हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है प्रतिवादी सं0 08 ता 16 करकेड़ी अवस्थित भूमि पर काबिज है एवं उपर वर्णित खसरा नम्बरान में प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 का कब्जा काश्त है।



  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है—

यह है कि खेत खसरा नम्बर 1119 रकबा 20 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 1117 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 1124 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 1278/1106 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 08 ता 16 के नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 ने इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया। जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकील पक्षकारान् मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

दावा के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी सं0 08 ता 16 का नाम वर्तमान खातेदारी से हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :-

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद गोमथलिया की ढाणी के खसरा नम्बर 1119, 1117, 1124, 1278/1106 की कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 08 ता 16 का नाम हटाया जाता है व वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 07 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नागौर)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

डिक्री बमुकददमें इब्तादाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 186/2019

दायर दिनांक 31.07.2019

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. किसनाराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी गोमथलिया की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	1. हनुमानराम पुत्र बालूराम 2. हरिसिंह पुत्र बालूराम 3. गुमानी पत्नि बालूराम 4. श्रवण देवी पुत्री बालूराम 5. संतोष पुत्री बालूराम 6. भंवरी उर्फ भागीदेवी पुत्री नानूराम 7. फाखा देवी पुत्री नानूराम 8. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बिरदाराम 9. सुभाष पुत्र बिरदाराम 10. सोहनी पत्नि बिरदाराम 11. रामादेवी पत्नि नारायणराम 12. सुरेश पुत्र नारायणराम 13. नन्दु पुत्री नारायणराम 14. सुमेर पुत्री नारायणराम 15. किस्तुरी पुत्री बिरदाराम 16. रामेश्वरी देवी पुत्री बिरदाराम समस्त जाति जाट निवासी गोमथलिया की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 17. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।
	बनाम्

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 04.10.2021


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद गोमथलिया की ढाणी के खसरा नम्बर 1119, 1117, 1124, 1278/1106 की कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 08 ता 16 का नाम हटाया जाता है व वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 07 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.10.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवानी (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	- -		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)